

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक अपील संख्या - 299 वर्ष 2026**

सचिन वर्मा

.....अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, एवं अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलार्थी के अधिवक्ता :- शिव प्रकाश सिंह**प्रतिवादी के अधिवक्ता :-** शासकीय अधिवक्ता, देवेन्द्र कुमार सिंह, मधुलिका यादव**न्यायालय संख्या - 28****माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आज जब यह प्रकरण सुनवाई हेतु लिया गया तो विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित है और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है, अतः इस न्यायालय के पास तत्काल अपील का निर्णय करने के लिए कार्यवाही करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत यह आपराधिक अपील, विशेष न्यायाधीश (अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम),

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतापगढ़ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4770/2025 एवं 203/2026 में क्रमशः दिनांक 07.01.2026 और 19.01.2026 को पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त मामला अपराध संख्या 478/2024, धारा 191(1), 191(2), 191(3), 103(2), 352, 351(3) भा.न्य.स. (भारतीय दण्ड संहिता की तत्संगत धाराएँ 146, 147, 148, 302, 504, 506) एवं धारा 3(1)(DA), 3(1)(DHA), 3(2)(VA) अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ से सम्बन्धित है, जिसमें अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सह-अभियुक्त — विजय वर्मा और राहुल वर्मा, जिन्हें वर्तमान अपीलार्थी से अधिक गम्भीर भूमिका दी गई थी — को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 518/2025 में दिनांक 01.12.2025 को पारित आदेश द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है; तथा अन्य सह-अभियुक्त शनि वर्मा, वीरेन्द्र वर्मा एवं सहदेव वर्मा को क्रमशः आपराधिक अपील संख्या 2657/2025, 4022/2025 एवं 221/2026 में दिनांक 08.12.2025, 24.02.2026 और 09.03.2026 के आदेशों द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है; अतः वर्तमान अपीलार्थी भी जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास प्रत्युत्तर शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 7 में स्पष्ट किया गया है और वह दिनांक 19.11.2024 से कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जमानत पर मुक्त किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग देगा। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा साक्षियों अथवा प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को भयभीत करने या दबाव डालने की कोई सम्भावना नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपर्युक्त कारणों से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि तत्काल आपराधिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है, विवादित आदेश अपास्त किये जायें और परिणामस्वरूप अपीलार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाये।

6. इसके प्रतिकूल, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह कहते हुए प्रार्थना का विरोध किया कि अपीलार्थी अपराध के कारित होने में सम्मिलित है, अतः वह जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी नहीं है और तत्काल आपराधिक अपील खारिज किये जाने योग्य है। तथापि वे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तथ्यात्मक निवेदनों का खण्डन करने में असमर्थ रहे।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री — जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोप सम्मिलित हैं — के परिशीलन के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है; वर्तमान अपीलार्थी से अधिक गम्भीर भूमिका वाले सह-अभियुक्तों को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तथा अपीलार्थी दिनांक 19.11.2024 से कारागार में है और उसने यह वचन दिया है कि जमानत पर मुक्त किये जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा। गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की यथोचित सराहना करने में विफल रहा है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, विशेष न्यायाधीश (अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम), प्रतापगढ़ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4770/2025 एवं 203/2026 में अपराध संख्या 478/2024, धारा 191(1), 191(2), 191(3), 103(2), 352, 351(3) भा.न्य.स. (भारतीय दण्ड संहिता की तत्संगत धाराएँ 146, 147, 148, 302, 504, 506) एवं धारा 3(1)(DA), 3(1)(DHA), 3(2)(VA)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2026 एवं 19.01.2026 को क्रमशः पारित आदेश एतद्वारा अपास्त किये जाते हैं।

9. अपीलार्थी — सचिन वर्मा को उपरोक्त मामला अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर, निम्नांकित अतिरिक्त शर्तों के अधीन, जमानत पर मुक्त किया जाये:

- (i) अपीलार्थी विचारण के दौरान अभियोजन के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलार्थी विचारण के दौरान साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलार्थी अभियोजन के साक्षी/साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।
- (iv) अपीलार्थी कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- (v) अपीलार्थी प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाये अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करे।
- (vi) अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिशः अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (vii) अपीलार्थी साक्ष्य की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- (viii) अपीलार्थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित कराने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे। चूँकि यह आदेश अपीलार्थी की जमानत पर मुक्ति से सम्बन्धित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

18 मार्च, 2026

अरविन्द

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।